

न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़


पीठासीन अधिकारी : अजय सिंह राठौड़, आई०ए०एस०

मिसल न० 89/प्रा०पत्र/23

तारीख दायरा: 13.09.2023

राज० सरकार जयें पुलिस थाना भालता  
बनाम

रंगलाल पुत्र कालूलाल तंवर  
प्रथम सूचना रिपोर्ट स० 31/2023 थाना भालता  
जुर्म अन्तर्गत 9बी व 11 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का  
प्रतिशोध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम  
प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए वास्ते राजसात करने वाहन संख्या  
आरजे 20 जीबी 0243



उपस्थित:- सहायक निदेशक अभियोजन  
श्री बालचंद ऐरवाल, अभिभाषक अप्रार्थी

-: निर्णय :-

दिनांक: 5.03.2024

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी थानाधिकारी थाना भालता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि पुलिस थाना भालता द्वारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशोध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 9बी व 11 के जुर्म में अप्रार्थी का एक वाहन आरजे 20 जीबी 0243 जप्त किया है। जिसमें 02 नर गोवंश टूस-टूस कर भरे हुए थे। उक्त गोवंशों को निर्दयतापूर्वक, बिना चारे पानी के व्यवस्था के भरकर परिवहन किया जा रहा था। गोवंशों को लाने ले जाने संबंधी कोई रसीद या दस्तावेज चाहा गया तो कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। इस प्रकार वाहन में 02 गोवंश बैल को निर्दयतापूर्वक भरकर कटने हेतु बिना दस्तावेज के लाने ले जाने का कृत्य अपराध राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशोध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 9बी व 11 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने पर प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जाकर प्रश्नगत वाहन को राजसात करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पुलिस रिपोर्ट अनुसार अनुसंधान से व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर उक्त आरजे 20 जीबी 0243 जिसमें 02 गोवंश बैल को अपराध अन्तर्गत धारा 9बी व 11 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशोध और अस्थायी प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत प्रमाणित होने पर जब्त किया गया है। जप्त वाहन में 02 गोवंश बैल निर्दयतापूर्वक भरे हुए थे। जिनको एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का कोई वैधानिक स्वीकृति सम्बन्धित दस्तावेज आरोपी द्वारा वक्त गिरफ्तारी नहीं बताया गया। इससे प्रथम दृष्टया गोवंशों की तस्करी किया जाना प्रमाणित होता है।

बहस सुनी गई। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि अप्रार्थी का एक वाहन आरजे 20 जीबी 0243 को पुलिस द्वारा दिनांक: 24.01.2023 को जप्त किया गया है। अप्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। अधिनियम की धारा 6 (क) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन की सुपुर्दगी अप्रार्थी को दी जावे। अप्रार्थी द्वारा उक्त वाहन से गोवंश का परिवहन लोडिंग कार्य हेतु किया जा रहा था प्रार्थनापत्र खारिज जप्त शुदा वाहन सुपुर्दगी में दिया जावे।

इस पर सरकार की और से सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा व्यक्त किया गया कि अप्रार्थी द्वारा गोवंश का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशोध और अस्थायी प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6 क के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया

24/11/23  
9/3  
जिला कलक्टर  
झालावाड़

जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश देने में सक्षम हैं। जप्त वाहन का अधिहरण किया जावे।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस रिपोर्ट अनुसार जप्त वाहन आरजे 20 जीबी 0243 में 02 गोवंश बैल निर्दयतापूर्वक भरे हुए थे। इसी कारण से अपराध अन्तर्गत धारा 9बी व 11 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशोध और अस्थायी प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत अपराध होना दर्शित है। अप्रार्थी द्वारा पशु खरीद बाबत कोई दस्तावेज या सक्षम अधिकारी की एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की कोई अनुमति के दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। अतः गोवंश को निर्दयतापूर्वक अवैध परिवहन व बिना सक्षम स्वीकृति के परिवहन की पुष्टि होती है, अप्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के अवैध रूप से वाहन आरजे 20 जीबी 0243 में 02 नर गोवंश को ले जाया जाना राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशोध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 धारा 9बी व 11 की पुष्टि करता है।

प्रार्थना पत्र आर.बी.ए. एक्ट की धारा 6 (क) पर मैरिट पर सुने जाने से प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी थानाधिकारी पुलिस थाना भालता स्वीकार किया गया जाता है। पुलिस थाना भालता द्वारा प्र.सू.रि.स. 31/2023 में जप्त वाहन आरजे 20 जीबी 0243 गोवंशीय पशुओं के अवैध परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 6 (क) के तहत जप्त वाहन को राजसात (Confiscate) किया जाना उचित पाते हैं। अधिनियम की धारा 6(क) में दिये गए प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए उक्त कृत्य के लिए वाहन आरजे 20 जीबी 0243 पर जुर्माना (fine) वाहन के बीमा दस्तावेज में अंकित राशि के बराबर राशि लगाया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशोध और प्रवजन या निर्यात का विनियमन)(संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6(क) पुलिस थाना भालता द्वारा प्र.सू.रि.स. 31/2023 में जप्त वाहन आरजे 20 जीबी 0243 के अधिहरण के आदेश दिये जाते हैं। जप्त वाहन के मालिक को विकल्प दिया जाता है कि वे अन्दर 30 योम वाहन आरजे 20 जीबी 0243 पर जुर्माना (fine) वाहन के बीमा दस्तावेज में अंकित राशि के बराबर राशि राजकोष में जमा करा दे तथा वाहन का मालिक होने के असल दस्तावेज पेश करे व उक्त वाहन अन्य किसी न्यायिक प्रकरण में वांछित ना हो तो वाहन को सम्बंधित मालिक की सुपुर्दगी में दिया जावे। बाद गुजरने म्याद जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (Confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना भालता जिला झालावाड़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक: 05.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अजय सिंह राठौड़  
जिला कलक्टर  
झालावाड़